न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 83/2019

परमेश्वर नागर आयु 28 साल आ0 श्री गोविन्द जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज.

—वादी

बनाम

1. गोविन्द आयु 53 वर्ष आ0 श्री रतनलाल जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0
2. नीरज नागर आयु 31 साल आ0 गोविन्द जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0
3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार केशवराय पाटन।

— प्रतिवादीगण

वाद :— अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राज0 टि0 एक्ट

FOR COPYING FEES ONLY

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री उमा शंकर नागर, एडवोकेट
2. प्रतिवादी सं. 1 व 2 की और से श्री मनीष सेन, एडवोकेट

—: निर्णय :—

दिनांक —13.08.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 03.06.2019 को वाद अधिकार घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता सं. नयी 74 की कृषि भूमि ख.सं. 917 रकबा 0.89 है0, ख.सं. 1238 रकबा 0.31 है0, ख.सं. 1294 रकबा 1.79 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.99 है0 वाके ग्राम व माल माधोराजपुरा, पटवार क्षेत्र माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी के० पाटन

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

राज. में विरिथित है, जिसके खातेदार प्रतिवादी सं. 1 दर्ज रिकार्ड है तथा खाता सं. नई 166 की कृषि भूमि ख.सं. 837 रकबा 1.56 है0, ख.सं. 916 रकबा 1.54 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.10 है0 वाके ग्राम व माल माधोराजपुरा पटवार क्षैत्र माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित है। जिसके खातेदार प्रतिवादी सं. 2 दर्ज रिकार्ड है। मूल पुरूष रतनलाल है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जिनके पुत्र प्रतिवादी सं. 1 गोविन्द है तथा वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 1 के पुत्रगण है। वाद पत्र के चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पैत्रक कृषि भूमि है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है जिसमें वर्तमान समय में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज है। जबकि उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है अर्थात प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है लेकिन प्रतिवादी सं. 2 के वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जो प्रतिवादी सं. 1 ने खरीद कर खाते अंकित करवाई है इसलिये प्रतिवादी सं. 2 का वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नही रहा है। इसलिये वादपत्र की चरण सं 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/2–1/2 हिस्सा जन्म से ही निहित है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी को बंटवारा एवं कब्जे काश्त में मिली कृषि भूमि के मुताबिक 1/2 हिस्से कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे विकल्प में आराजी ख.सं. 129 रकबा 1.79 है0 का एकल खातेदार घोषित किया जावे एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में पृथक अमल दरामद किया जावे। विकल्प में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को सहखातेदार घोषित किया जावे।

3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 व 2 ने इकबालिया जवाब पेश किया एवं वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने आपसी सहमति का दिनांक 05.08.2019 को राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. वादी की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परमेश्वर का शपथ पत्र पेश किया गया।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 05.08.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

मिलान किया
पढ़ी सुनी

Scanned by CamScanner

इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::निर्णय::–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। वादी परमेश्वर नागर आ0 श्री गोविन्द जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा के हिस्स एवं कब्जे में खाता सं. 74 ख.सं. 1294 रकबा 1.79 है0 लगान 26.85 वाके ग्राम माधोराजपुरा, प्रतिवादी सं. 1 गोविन्द आ0 श्री रतनलाल जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा के हिस्से, कब्जे में खाता सं. 74 ख.सं. 917 रकबा 0.89 है0 लगान 13.35, ख.सं. 1238 रकबा 0.31 है0 लगान 4.65 कुल किता 2 कुल रकबा 1.20 है0 लगान 18.00 वाके ग्राम माधोराजपुरा, प्रतिवादी सं. 2 नीरज आ0 श्री गोविन्दलाल जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा के हिस्से, कब्जे में खाता सं. 166 ख.सं. 837 रकबा 1.56 है0 लगान 23.40, ख.सं. 916 रकबा 1.54 है0 लगान 23.10 कुल किता 2 कुल रकबा 3.10 है0 लगान 46.50 वाके ग्राम माधोराजपुरा पटवार क्षैत्र माधोराजपुरा तहसील केश्वरायपाटन जिला बून्दी राज0 रहेगी एवं रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी * के0 पाटन *

13/8/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केश्वरायपाटन

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

निशान किया

Scanned by CamScanner